चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्विद्यालय, हिसार

कृषि विज्ञानं केंद्र कुरुक्षेत्र

नीलामी सूचना

पत्र क्रमांक- KVK/KKR/2026/699-710

दिनांक- 22/06/2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि विज्ञानं केंद्र कुरुक्षेत्र के गांव धुराला स्थित फार्म झांसा रोड, कुरुक्षेत्र पर अमरुद के 5.0 एकड़ व 1.0 एकड़ चीकू बाग़ साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में लगे अमरुद के पौधों की वर्ष 2026-2028 के लिए नीलामी कृषि विज्ञानं केंद्र के धुराला फार्म पर दिनांक 06/07/2026 को प्रात 11:00 बजे की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति 20,000/-/- रुपए अग्रिम राशि जमा कराकर बोली लगा सकता है। फलों की स्तिथि देखने लिए इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस को केंद्र के वरिष्ठ सयोंजक की पूर्व अनुमति से बाग़ का निरक्षण कर सकता है। बोली की नियम व शर्तें नीचे दी गई है :-

1. अग्रिम राशि जमा किए बिना बोली का अधिकार नहीं होगा।
2. उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटते ही एक तिहाई राशि जमा करनी होगी। बकाया राशि दो बराबर किस्तों में अगस्त व दिसंबर में जमा करानी होगी ।
3. सफल बोलीदाता को सभी नियम व शर्तें 20 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखकर अथवा टंकित करा कर एक सप्ताह के अंदर कृषि विज्ञानं केंद्र के कर्यालय अथवा बाग़ प्रभारी को जमा करानी होगी वरना बोली रद्द समझी जाएगी।
4. सही समय पर क़िस्त जमा न करने पर विश्वविद्यालय के नयमों अनुसार ब्याज लिया जायेगा।
5. ठकेदार बाग़ को आगे किसी को नहीं बेच सकेगा। ऐसा करने पर विश्वविद्यालय को बाग़ को पुनः बेचने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. बाग़ का किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। बाग़ से लकड़ी इत्यादि काटना वर्जित है।
7. किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे ओलावृष्टि, आंधी तूफान वर्षा आदि से होने वाला नुकसान के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
8. बाग़ का किसी भी समय अवलोकन /निरक्षण व क्रियाएं हेतु केंद्र के वैज्ञानिक स्वतंत्र होंगे।
9. बाग़ की चोकीदारी की जिम्मेदारी पूर्णतयः ठेकेदार की होगी व किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
10. ठेके के अवधि 7/ July 2026 से 31 march 2028 तक होगी व इससे पहले व बाद में ठेकेदार का बाग़ पर कोई अधिकार नहीं होगा।

11. ठेकेदार बाग में किसी भी प्रकार के पशु नहीं रख सकता।
12. बाग में सस्य क्रयाए विशुविद्याला की शिफारिशों के अनुसार ही होगी। इन्हे डालने / छिड़काव आदि हेतु लेबर / मजदूर ठेकेदार को खुद लगाना होंगे। पीड़कनाशी आदान ठेकेदार के खुद होंगे। ठेकेदार बाग में गेहूं, धान, सरसों, गन्ना, बरसीम की फसलें नहीं उगा सकता।
13. विश्वविद्यालय को सबसे ऊंची बोली को नामंजूर करने अथवा रद्द करने का पूरा अधिकार होगा।
14. सफल बोली दाता के ना लगे पर उसकी जमा राशि जप्त कर ली जाएगी
15. सरकारी बोली का निर्णय गठित समिति करेगी।
16. नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना किया जा सकता है।
17. 31 March 2028 तक बाग की पूर्ण रूप से सफाई करके देनी होगी। ठेकेदार अगर वह बिजली का किसी भी कार्य में प्रयोग करता पाया गया तो पूरा बिल ठेकेदार से वसूला जायेगा। ठेकेदार बाग तथा लेबर आदि के ठहरने के लिए व बिजली का प्रबंद स्वयं करेगा।
18. अनैतिक एवं असामाजिक कार्य उद्यान परिसर में निषेद है। दोषी के खिलाफ कानूनी कर्यवाही की जाएगी तथा जुर्माना किया जायेगा।

वरिष्ठ समन्वयक
कृषि विज्ञान केंद्र
Sr. Co-ordinator
CCSHAU, Krishi Vigyan Kendra
U.E., Sector.13, Kurukshetra

उपरोक्त की एक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना हेतु प्रेषित की जाती है :-

1. सरपंच , ग्राम पंचायत धुराला।
2. सूचना पट्ट कृषि विज्ञान केंद्र , चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्विद्यालय, हिसार
3. बस अड्डा धुराला
4. कुरुक्षेत्र में अन्य सार्वजनिक स्थल
5. निदेशक, विस्तार शिक्षा निदेशालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्विद्यालय ,हिसार।

वरिष्ठ समन्वयक
कृषि विज्ञान केंद्र
Sr. Co-ordinator
CCSHAU, Krishi Vigyan Kendra
U.E., Sector.13, Kurukshetra